विधि एवं न्याय मंत्रालय

संख्या 63 (विनियोग)

भारत का उच्चतम न्यायालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010 आयोजना	बजट 2009-2010 आयोजना-भिन्न	बजट 2009-2010 जोड़	संशोधित 2009-2010 आयोजना	संशोधित 2009-2010 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2009-2010 जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	बजट 2010-2011 आयोजना-भिन्न	बजट 2010-2011 जोड़
राजस्व		...	88.02	88.02	...	98.83	98.83	...	85.00	85.00
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**...**	**88.02**	**88.02**	**...**	**98.83**	**98.83**	**...**	**85.00**	**85.00**
न्याय प्रशासन										
1. भारत का उच्चतम न्यायालय	2014	...	88.02	88.02	...	98.83	98.83	...	85.00	85.00
कुल जोड़		***...***	***88.02***	***88.02***	***...***	***98.83***	***98.83***	***...***	***85.00***	***85.00***

इस मांग में भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय के लिए व्यवस्था की गयी है। इसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों, विभागीय कैंटीन सहित रजिस्टरी के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन और यात्रा, सुरक्षा के लिए लगाए गए कार्मिकों के लिए व्यावसायिक सेवाओं हेतु प्रभारों तथा स्टेशनरी, कार्यालय उपस्करों, सुरक्षा उपकरणों, वार्षिक रिपोर्ट के मुद्रण सहित स्थापना से संबंधित आवश्यकताओं पर होने वाले खर्च तथा उच्चतम न्यायालय में क्लोज सर्किट टेलीविजन (सी.सी.टी.वी.) के रख-रखाव के लिए किए गए प्रावधान शामिल हैं।

http://indiabudget.nic.in